श्री सैयद फैसल अली, माननीय स.वि.प० के प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-106 के सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन क्रम संख्या-04 का अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में पानी की कमी है; (ख) क्या यह सही है कि दक्षिण बिहार में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए ठोस योजना तैयार करने की जरुरत है: (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (पी० एम० के० एस० वाई०) योजना के तहत दक्षिण बिहार के जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक?	महोदय, खंड (1) (2) वस्तुस्थिति यह है कि दक्षिण बिहार क्षेत्र में सिंचाई के लिए 22 जलाशय निर्मित हैं। जिनमें मॉनसून अवधि में जल संचय कर इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इन जलाशयों की क्षमता को बनाये रखने के दृष्टिकोण से समय-समय पर जल संसाधन विभाग द्वारा इसका संपोषण कार्य कराया जाता है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में लगातार कमी होने की समस्या को देखते हुए वर्तमान में बदुआ जलाशय एवं खड़गपुर जलाशय में गंगा नदी में उपलब्ध अधिशेष जल को एकत्रित करने की योजना पर विभाग काम कर रही है। इसके अतिरिक्त चांदन जलाशय के गाद सफाई का भी कार्य हमलोग कर रहे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सदन को बताया था और इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से इन जलाशयों में प्रचुर मात्रा में जल का संचयन किया जा सकेगा। जिसके फलस्वरूप खरीफ और रब्बी दोनों की सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध होगी। साथ ही बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण जलाशयों में जेसे मौरवे, बासकुंड, आंजन, गढ़ी, जलकुड में अंतरण कार्य के लिए डी०पी०आर० तैयार किया जा	वस्तुस्थिति यह है कि - जल संसाधन विभाग अंतर्गत निर्मित जलाशयों के गाद निकासी हेतु बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 लागू की गयी है, जिसके तहत गाद निकासी का कार्य कराकर जलाशयों के क्षमता के अनुरूप जल संचयन किया जायेगा। बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ एवं खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य की योजना की स्वीकृति फरवरी 2025 में प्रदान की गयी है। आवश्यकतानुसार फुल्लीडुमर, मध्यागिरी एवं बिलासी जलाशयों में जलांतरण हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। योजना का कार्य प्रगति में है, जिसे मार्च 2027 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु केंद्रीय जल आयोग में डी० पी० आर० की जाँच प्रक्रियाधीन है।

	रहा है जो अगले साल मई महीने तक तैयार हो जाने की संभावना है और उसके बाद हमलोग उसमें आगे काम करके और इस योजना को जो डी०पी०आर० बन रहा है उसको जो माननीय सदस्य ने कहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी के तहत स्वीकृति के लिए प्रस्तावति कर रहे हैं।	इसके अतिरिक्त गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के मौरवे, बासकुंड, आंजन, गढ़ी एवं जलकुंड में अंतरण कार्य के पी०पी०आर० पर केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गयी है। उक्त योजना का डी०पी०आर० तैयार कर लिया गया है, जिसे समीक्षोपरांत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केंद्रीय जल आयोग को समर्पित किया जायेगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–04 / 2024..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–86(6) दिनांक–22.01.2025 के आलोक में तारांकित प्रश्न सं0–1 / 208 / 279 से उदभूत् आश्वासन क्रम सं0–04 का अनुमोदित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–04 / 2024..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–04 / 2024..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–04 / 2024 5754 पटना / दिनांक : ~~30~~ 01/10/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/10/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव